PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Jagran, Delhi
Sun, 21 May 2017, Page 10
Width: 11.89 cms, Height: 18.32 cms, a4, Ref: 30.2017-05-21.73

जरूरी है सख्ती

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा यमुना के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में कूड़ा डालने पर प्रतिबंध लगाने का स्वागत किया जाना चाहिए। इस नियम का उल्लंघन करने पर पांच हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इससे नदी को प्रदूषण मुक्त करने में मदद मिलेगी। इसलिए अब इस आदेश का पालन कराने वाले विभागों को जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। कहीं, ऐसा न हो कि यह सिर्फ आदेश बनकर ही रह जाए। पहले भी एनजीटी यमुना में पूजा सामग्री और यमुना के तट पर मलबा फेंकने पर प्रतिबंध लगा चुका है। इस मामले में भी जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन इसका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने एक कमेटी भी गठित की है। कमेटी यमुना की सफाई व्यवस्था का अनुपालन कराने के साथ ही इसकी रिपोर्ट तैयार कर एनजीटी को सौंपेगी। ट्रिब्यूनल का यह कहना बिल्कुल सही है कि यमुना में प्रदूषण का मुख्य कारण रिहायशी इलाकों में चल रही फैक्ट्रियों का कूड़ा है, इसलिए नगर निगमों को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अधिकांश फैक्ट्रियों का गंदा पानी नालों से होते हुए यमुना में मिल रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए।

वजीराबाद से लेकर ओखला बैराज तक यमुना की लंबाई 22 किलोमीटर है। इस बीच इसमें 22 नाले गिरते हैं

यह सच्चाई है कि यमुना को गंदा करने में सबसे अधिक योगदान दिल्ली का है। प्रदूषण की वजह से यमुना को देखने से आभास ही नहीं होता है कि यह नदी भी है। वजीराबाद से लेकर ओखला बैराज तक यमुना की लंबाई 22 किलोमीटर है। इस बीच इसमें 22 नाले गिरते हैं। इसमें से नजफगढ़, शाहदरा और तुगलकाबाद नाला नदी को सबसे ज्यादा गंदा करते हैं। यहां यमुना का प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि इसका जल स्नान करने के योग्य नहीं है। जल में मौजूद कालीफार्म बैक्टीरिया मानव शरीर के लिए खतरनाक है। इसके प्रभाव से आंत्रशोध, टाइफाइड, चर्म रोग व अन्य जलजनित रोग हो सकते हैं। इस स्थिति को दूर करने के लिए सरकारी प्रयास के साथ ही जन भागीदारी भी जरूरी है। राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व स्वयंसेवी संगठनों को इसके लिए आगे आना होगा। जनता को भी यमुना की धारा को निर्मल बनाने में योगदान देना चाहिए।